



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054]
No. 1054]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2004/अग्रहायण 19, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2004/AGRAHAYANA 19, 1926

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1353(अ).—विमान नियमावली, 1937 के नियम 13 में दिए ग्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25 अगस्त, 2003, की अधिसूचना सं. का.आ. 967(अ) द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2003, की भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन महानिदेशालय) में भारत सरकार के आदेश का अधिक्रमण करते हुए, महानिदेशक नागर विमानन एतद्वाया निदेश देते हैं कि उक्त नियमावली के नियम 13 में विनिर्दिष्ट सरकारी विमान क्षेत्रों पर फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंध निम्नलिखित टर्मिनल भवनों पर लागू नहीं होंगे—

- (i) सिविल विमान क्षेत्र; और
- (ii) रक्षा विमान क्षेत्रों पर सिविल अंतःक्षेत्र।

[फा. सं. 9/12/2003-आई आर]

सतेन्द्र सिंह, महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(Directorate General of Civil Aviation)

ORDER

New Delhi, the 9th December, 2004

S.O. 1353(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to rule 13 of the Aircraft Rules, 1937 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation (Directorate General of Civil Aviation), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th August, 2003, vide, notification number S.O. 967(E), dated the 25th August, 2003, the Director General of Civil Aviation hereby directs that the restrictions on photography at a Government aerodrome as specified in rule 13 of the said rules shall not apply to the terminal buildings of—

- (i) Civil aerodromes; and
- (ii) Civil enclaves at defence aerodromes.

[F. No. 9/12/2003-IR]

SATENDRA SINGH, Director General